न्यायालयः-अपर सेशन न्यायाधीश, झालावाड, जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन न्यायाधीश – **नरेन्द्र मीणा,** आर.जे.एस.(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या - 30/2024

C.I.S. 125/2023

RJJW010015232023

राजस्थान राज्य

-अभियोगी

बनाम

1-भगवानसिंह पुत्र बनेसिंह, उम्र 45 साल, निवासी तीतरवासा, पुलिस थाना सदर झालावाड, जिला झालावाड (राज.)

2-जगवीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह, उम्र 52 साल, निवासी गोयन्दा, पुलिस थाना रामगंजमन्डी जिला कोटा ग्रामीण (राज.)

3-दुल्हेसिंह पुत्र हरिराम, उम्र 35 साल, निवासी बीरियाखेडी, पुलिस थाना सदर झालावाड, जिला झालावाड (राज.)

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा **3/25, 5/25 आर्म्स एक्ट**

(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **113/2020** पुलिस थाना **सदर झालावाड)**

उपस्थितः-

1- श्री विनोद कुमार गोचर, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

2- श्री महेन्द्रसिंह झाला, अधिवक्ता, अभियुक्त भगवानसिंह जगवीरसिंह की ओर से।

3- श्री घनश्यामलाल, अधिवक्ता, अभियुक्त दूल्हेसिंह की ओर से।

निर्णय **दिनांक 11.03.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 25.05.2020 को अजय कुमार शर्मा, थानाधिकारी पुलिस थाना सदर झालावाड मय जाप्ता, वाहन सरकारी, अनुसंधान बाक्स, लेबटाप, प्रिटर, ड्रेगन टार्च के थाना सदर झालावाड से समय 23.11 पी.एम. पर वास्ते रोकथाम अवैध कार्यो व गश्त इलाका करता हुआ तीतरवासा गांव मे अन्दर गश्त करता हुआ जा रहा था, समय 12.05 ए.एम. पर तीतरवासा गाँव मे से एक मोटरसाईकिल अटलसेवा केन्द्र रोड के पास आती हुई मिली, जिस पर दो व्यक्ति बैठे हुये थे जिसका चालक पुलिस जीप व जाप्ता को देखकर

अचानक वापस मोडकर जाने लगा तो जीप आगे लगाकर उसके द्वारा मोटरसाईकिल चालक का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम भगवानसिह पुत्र बनेसिह निवासी तीतरवासा एवं मोटरसाईकिल पर पीछे बैठे युवक ने अपना नाम जगवीरसिह पुत्र प्रतापसिह निवासी गोयन्दा थाना रामगंजमण्डी जिला कोटा ग्रामीण बताया, जो काफी घबरा रहे थे जिनसे कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाव नही दिया। जिनके पास कोई आपत्तिजनक वस्तु होने का संदेह होने से तलाशी लेने हेतु हमराही जाप्ते मे से सुरेश कुमार कानि. 439 को जुबानी निर्देश देकर दो स्वतंत्र गवाहान की तलाशी हेतु रवाना किया, जिसने 10.00 मिनट बाद वापस आकर बताया कि रात्रि का समय व लाकडाउन होने से कोई घरो के बाहर या रोड पर नही मिला, न ही आवाज देने पर भी कोई बाहर आया, तब जाप्ता मे से सुरेश कुमार कानि. पवन कुमार कानि. को जुबानी निर्देश देकर एवं सहमति प्राप्त कर गवाह मामूर कर उसके द्वारा मोटरसाईकिल चालक भगवानसिह को चैक किया तो पेन्ट की दाहिनी जेब मे एक कारतूस मिला, जिसको जीप व ड्रेगन टार्च के उजाले मे देखा तो 12 बोर कारतूस जिन्दा 65 MM 30 gram indian ordnance factories पीछे पीतल की कैप लगई हुई, जिस पर KF12 लिखा हुआ है, अग्र भाग पर 1 लिखा हुआ है। तत्पश्चात जगवीरसिह को चैक किया तो उसके पास से पेन्ट के अन्दर वाली जेब मे एक जिन्दा कारतूस 12 बोर जिस पर Special 65 MM 30 gram indian ordnance factories काले रंग की प्रिवेंट है, जो स्कीन कलर के है, पीछे पीतल पर KF12 गुदा हुआ है। उनसे उक्त कारतूस को अपने पास रखने बाबत लाईसेंस/अनुज्ञापत्र चाहा तो नही होना बताया। दोनो ने ये कारतूस दूल्हेसिह निवासी बिरियाखेडी द्वारा मंगवाये जाने पर उनको देने जाना बताया। उक्त दोनो का अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दण्डनीय होने से दोनो कारतूसो को बतोर वजह सबूत जरिए फर्द जप्त कर सील्ड मोहर किया गया। मोटरसाईकिल आरजे17 एसएस 4588 को चैक किया उसमे कोई वस्तु आपतिजनक नही मिली। चालक भगवानसिह से मोटरसाईकिल के बारे मे पूछताछ की तो स्वयं की होना बताया, जिसके कागजात नही होना बताया, मोटरसाईकिल को जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। अभियुक्तगण को

गिरफ्तार किया गया। इत्यादि। उक्त फर्द जप्ती पर पुलिस थाना **सदर झालावाड** पर प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर **113/2020,** अपराध अन्तर्गत **धारा 3/35 आर्म्स एक्ट** में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण भगवानसिह व जगवीरसिह के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा अभियुक्त दूल्हेसिंह के विरूद्ध धारा 5/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के विचारण हेतु दिनांक 23.10.2020 को आरोप-पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिनके द्वारा प्रकरण अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा अन्वीक्षा योग्य होने से प्रकरण माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, झालावाड़ के न्यायालय में अन्तरित किया गया जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को अन्तरित होकर दिनांक 14.03.2024 को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. दिनांक 05.04.2024, 24.04.2024 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण भगवान सिंह व जगवीर सिंह को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त दूल्हेसिंह को धारा 5/25 आर्म्स एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, अभियुक्तगण ने आरोप को सुन-समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. **अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य**

क्र.सं.	साक्षी क्रम	साक्षी का नाम
1	पी.डबल्यू. 01	सुरेश
2	पी.डबल्यू. 02	पवन कुमार
3	पी.डबल्यू. 03	कुन्दनलाल
4	पी.डबल्यू. 04	प्रहलाद
5	पी.डबल्यू 05	शंकरलाल
6	पी.डबल्यू 06	विनोद कुमार
7	पी.डबल्यू 07	बाबूलाल
8	पी.डबल्यू 08	योगेन्द्र सिंह
9	पी.डबल्यू 09	नितिन कुमार
10	पी.डबल्यू 10	अजय कुमार

11	पी.डबल्यू 11	नवल सिंह
12	पी.डबल्यू 12	पुष्पेन्द्र सिंह
13	पी.डबल्यू 13	बाबूलाल थानाधिकारी

4. **अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य**

क्र.सं.	**प्रदर्श पी**	**नाम दस्तावेजात**
1	प्रदर्श पी-01	फर्द चेकिंग व जप्ती
2	प्रदर्श पी-02	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त भगवान सिंह
3	प्रदर्श पी-03	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त जगवीर सिंह
4	प्रदर्श पी- 04	नक्शा मौका
5	प्रदर्श पी- 05	थानाधिकारी का पत्र बाबत यांत्रिक परीक्षण
6	प्रदर्श पी-06	मालखाना रजिस्टर
7	प्रदर्श पी-07	फर्द सुपुर्दगी मोटरसाईकिल
8	प्रदर्श पी-08	फर्द तस्दीक घटनास्थल
9	प्रदर्श पी- 09	यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट
10	प्रदर्श पी- 10	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त दूल्हेसिंह
11	प्रदर्श पी- 11	फर्द सूचना अभियुक्त दूल्हेसिंह
12	प्रदर्श पी- 12	प्रथम सूचना रिपोर्ट
13	प्रदर्श पी- 13	चेक लिस्ट अभियुक्त भगवानसिंह
14	प्रदर्श पी- 14	चेक लिस्ट अभियुक्त जगवीरसिंह
15	प्रदर्श पी- 15	अभियोजन स्वीकृति

5. साक्ष्य अभियोजन के समापन पर अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 351 भा.ना.सु.सं. (313 दं.प्र.सं.) किया गया, तो अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों को गलत होना बतलाते हुए, गवाहान द्वारा झूंठ बोलना व स्वयं का निर्दोष होकर झूंठा फंसाए जाने का कथन करते हुए, प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर करने पर साक्ष्य-सफाई बन्द की गई।

6. बहस अन्तिम सुनी गयी।

7. दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह तर्क रहा है कि प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित है तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

8. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क यह रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष की कहानी प्रथम दृष्टया ही झूंठी है। यह झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मौके की कार्यवाही में सभी गवाहान पुलिसकर्मी है। इस प्रकरण में किसी स्वतंत्र गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं कराए गए है। जबकि घटना आम रास्ते की है। उक्त रास्ते पर लोगों व वाहनों की आवाजाही रहती है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा दौराने बहस अंतिम दिए गए तर्कों एवं उन पर न्यायालय का विश्लेषण एवं विवेचन निर्णय की अग्रिम पंक्तियों में किया जाएगा।

9. उभय पक्षकारान के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10. हस्तगत प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु उत्पन्न हुआ हैः-

> **" क्या दिनांक 26.05.2020 को रात्रि करीब 12.30 पी.एम. या इसके लगभग मौजा तीतरवासा स्थित अटल सेवा केन्द्र के पास एस.एच.ओ. अजय कुमार शर्मा, एस.आई. पुलिस थाना सदर झालावाड़ द्वारा अभियुक्तगण भगवानसिंह व जगवीरसिंह के संज्ञान कब्जे से एक-एक जिन्दा कारतूस 12 बोर, 65 एम.एम., 30 ग्राम** indian ordnance factories **प्रिन्ट हुए व पीतल की केप पर** kf 12 **गुदा हुआ बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद किये गये, जिन्हें अभियुक्त दूल्हेसिंह द्वारा बिना वैध अनुज्ञा पत्र के किसी अवसर पर अभियुक्तगण को अवैध रूप से बैचान किए गए ?**

11. समस्त तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक मनन करने के उपरांत तथा अभिलेख पर उपलब्ध प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के गहन अवलोकन, विश्लेषण एवं विवेचन से

यह प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपनी कहानी के समर्थन में **कुल 13 गवाहान** के बयान लेखबद्ध करवाए गए हैं।

12. **पी.ड. 01 सुरेश** जो कि जप्ती दल का सदस्य है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 25.05.2020 को वह थाना सदर में कानि0 के पद पर तैनात था। उस दिन रात के करीब सवा 11 बजे वह, एसएचओ अजय कुमार, मय जाप्ता, अनुसंधान बॉक्स, ड्रेगन लाईट, लेपटॉप प्रिंटर मय सरकारी वाहन के वास्ते अवैध कार्य चैकिंग हेतु भवानीमण्डी रोड भीलवाडा कनवाडा रूडलाव गश्त करते हुए तीतरवासा पहुंचे। वहां पर अटल सेवा केन्द्र के पास दो व्यक्ति बाईक पर आते नजर आये जो पुलिस वाहन को देखकर वापस जाने लगे। इस पर वाहन द्वारा पीछा कर रोका तो दोनों काफी घबरा गये थे। एस.एच.ओ. ने डिटेनशुदा व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम भगवानसिंह व दूसरे ने जगवीरसिंह बताया। रात्रि व लोकडाउन के समय बाईक से घूमने बाबत पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया व काफी घबराये हुए थे। इस पर तलाशी लेना आवश्यक होने पर एस.एच.ओ. ने उसे मौखिक आदेश देकर स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भेजा। करीब 10 मिनट बाद उसने वापस आकर बताया कि लोकडाउन की वजह से कोई स्वतंत्र गवाह नही मिला। इस पर एस.एच.ओ. ने उसे व पवन को स्वतंत्र गवाह मामूर कर तलाशी ली तो भगवान सिंह के पेंट की दाहिनी जेब में एक जिंदा 12 बोर कारतूस मिला, जिस पर पीतल की केप लगी हुई थी, केएफ 12 लिखा हुआ था। जगवीरसिंह की तलाशी लेने पर पेंट के अंदर की जेब में 12 बोर एक जिंदा कारतूस मिला जिस पर भी केएफ 12 लिखा हुआ था। कारतूस रखने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नही होना बताया। इस प्रकार अवैध कारतूस अपने पास रखना अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दंडनीय होने से दोनों कारतूसो को मौके पर जप्त किया व पूछताछ करने पर बताया कि उक्त कारतूस दुल्हेसिंह कंजर को देने जा रहे थे। मोटरसाईकिल के बारे में पूछने पर भगवानसिंह ने अपनी होना बताया। जिसके कागजात चाहने पर नही होना बताया। बाईक को जप्त किया। मौके पर बनाई गई फर्द जप्ती व फर्द चैकिंग प्रदर्श पी 1 है। मौके पर किये गये जप्त माल को

एक सफेद कपडे की थैली में रखकर मार्क व बी दिया। मौके पर अभियुक्तगण भगवानसिंह व जगवीरसिंह को थानाधिकारी ने उसके समक्ष गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 2 व 3 बनाई। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 बनाया। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह स्वीकार किया हैं कि उस दिन रवानगी की रपट रोजनामचे में डाली थी। सरकारी वाहन थाने की जीप थी। जीप के नम्बर याद नहीं है। यह कहना सही है कि जीप शंकरलाल चलाकर ले गया था। जिस रूट से गये थे उस रूट से तीतरवासा गांव थाने से करीब 45 किलोमीटर पडता है। यह कहना सही है कि वे रास्ते में कही भी नही रूके थे। यह कहना सही है कि उन्होंने रास्ते में कही भी चैकिंग नही की। यह कहना सही है कि दोनों व्यक्तियों में से मोटरसाईकिल को भगवानसिंह चला रहा था। यह कहना सही है कि मोटरसाईकिल चालक करीब 20 मीटर दूर तक भागे थे। यह कहना सही है कि रात्रि का समय था। यह कहना सही है कि रोजनामचे मे सरकारी जीप द्वारा रवाना होना नही बताया है। अजखुद कहा कि सरकारी वाहन बताया है। यह कहना सही है कि अटल सेवा केन्द्र के पास ही बस्ती है और तीतरवासा गांव है। यह कहना सही है कि वे गांव में स्वतंत्र गवाह ढूंढने नही गये थे। अजखुद कहा कि आस पास ही ढूंढा था। यह कहना सही है कि वापसी थाने मोटरसाईकिल कानि. पवन चलाकर लाया था। यह कहना सही है कि एस.एच.ओ. की तलाशी उनके द्वारा लेना और उनकी तलाशी एस.एच.ओ. द्वारा लेना फर्द प्रदर्श पी 1 में कही भी अंकित नही है। यह कहना सही है कि सारी कार्यवाही करने में करीब एक डेढ घण्टा लग गया था। वापसी थाना वे सुनेल रोड होते हुए सीधा सदर थाना आये थे। यह कहना सही है कि वे जिस रूट से गये थे उस रूट से नही आये थे। उसे यह जानकारी नही है कि अटल सेवा केन्द्र में चौकीदार रहता है या नही। तीतरवासा से वापसी थाना आने मे करीब एक घण्टा लग गया था। तीतरवासा से वापसी थाना आने वाला रूट करीब 30 किलोमीटर है। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नही गया हो और उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नही की गई हो। यह कहना गलत है कि नक्शामौका थाने पर बैठकर बनाया हो। यह कहना गलत है कि

मुल्जिमान को घर से उठा कर लाये हो और थाने में बैठकर झूठी जप्ती बताई हो और वह झूठा गवाह बना हो।

13. **पी.ड. 02 पवनकुमार** जो भी जप्तीदल का सदस्य है उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 25.05.2020 को वह थाना सदर में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन रात के करीब सवा 11.00 बजे वह, एस.एच.ओ. अजय कुमार, मय जाप्ते, अनुसंधान बॉक्स, ड्रेगन लाईट, लेपटॉप प्रिंटर के वास्ते अवैध कार्य चैकिंग हेतु तीतरवासा पहुंचे। वहां पर अटल सेवा केन्द्र के पास दो व्यक्ति बाईक पर आते नजर आये जो पुलिस वाहन को देखकर वापस जाने लगे। इस पर वाहन द्वारा पीछा कर रोका तो दोनों काफी घबरा गये थे। एस.एच.ओ. ने डिटेनशुदा व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम भगवानसिंह व दूसरे ने जगवीरसिंह बताया। रात्रि व लोकडाउन के समय बाईक से घूमने बाबत पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नही दिया व काफी घबराये हुए थे इस पर तलाशी लेना आवश्यक होने पर एस.एच.ओ. ने सुरेश कुमार को मौखिक आदेश देकर स्वतंत्र गवाह लाने हेतु भेजा। करीब 10 मिनट बाद कानि0 सुरेश कुमार ने वापस आकर बताया कि रात्रि का समय होने के कारण कोई स्वतंत्र गवाह नही मिला। इस पर एस.एच.ओ. ने उसे व सुरेश कुमार को स्वतंत्र गवाह मामूर कर डिटेनशुदा व्यक्तियों की तलाशी ली तो भगवानसिंह के पेंट की दाहिनी जेब में एक जिंदा 12 बोर कारतूस मिला जिसपर पीतल की केप लगी हुई थी व के एफ 12 लिखा हुआ था। जगवीरसिंह की तलाशी लेने पर एक जिंदा कारतूस मिला जिस पर भी के एफ 12 लिखा हुआ था। उक्त दोनो से कारतूस रखने बाबत अनुज्ञा पत्र चाहा तो नही होना बताया। इस प्रकार अवैध कारतूस अपने पास रखना अपराध धारा 3/25 एक्ट में दंडनीय होने से दोनो कारतूसो को मौके पर जप्त किया व पूछताछ करने पर बताया कि उक्त कारतूस दुल्हेसिंह कंजर को देने जा रहे थे। मोटरसाईकिल के बारे में पूछने पर भगवानसिंह ने अपनी होना बताया। जिसके कागजात चाहने पर नही होना बताया। बाईक को जप्त किया। मौके पर बनाई गई फर्द जप्ती व फर्द चैकिंग प्रदर्श पी 1 है। मौके पर किये गये जप्त माल को सील्ड किया गया। अभियुक्तगण भगवानसिंह

व जगवीरसिंह को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी 2 व 3 बनाई। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका प्रदर्श पी.4 बनाया। दिनांक 14.07.2020 को पुलिस थाना सदर के मालखाना इन्चार्ज कुन्दन हैड कानि0 ने उसे जब्तशुदा एवं सीलशुदा कुल दो पैकेट यांत्रिक परीक्षण हेतु व पुलिस लाईन में आरमोर्रर हेतु दिये थे जिन्हे उसने आरमोर्रर को सुपुर्द किए थे। बाद परीक्षण उक्त दोनो पैकेट सीलशुदा हालत में वापस थाना आकर मालखाना इन्चार्ज को सुपुर्द की थी। इन्द्राज मालखाना इन्चार्ज ने मालखाना रजिस्टर में किया था। पुलिस थाना सदर झालावाड का यांत्रिक परीक्षण करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 5 है जो शामिल पत्रावली है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह स्वीकार किया हैं कि उस दिन रवानगी की रपट रोजनामचे में डाली थी। यह कहना सही है कि रोजनामचे मे जीप सरकारी लिखा हुआ है। जीप के नम्बर याद है जो आरजेयूए 5595 है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 1 में जीप व जीप के नम्बर का अंकन नही है, जिस रूट से गये थे उस रूट से तीतरवासा गांव थाने से करीब 45 किलोमीटर पडता है। यह कहना सही है कि रास्ते मे चैकिंग करते हुए गये थे। यह कहना सही है कि रास्ते मे कही भी नही रूके थे वे 40-45 की स्पीड से गश्त करते हुए गये थे। थाने से तीतरवासा पहुंचने मे करीब पौना घण्टा लगा था। यह कहना सही है कि मुल्जिमान उनको देखकर करीब 15-20 मीटर दूर तक भागे थे। यह कहना सही है कि वहां तीतरवासा गांव है। यह कहना सही है कि पास मे अटल सेवा केन्द्र है। यह कहना सही है कि अटल सेवा केन्द्र में चौकीदार रहता है अजखुद कहा कि उस समय कोई नही था। यह कहना सही है कि सुरेश जी अटल सेवा केन्द्र में गये थे । यह कहना सही है कि सुरेश ने केवल आस पास तलाश करने का बताया था कहां कहां गये थे, यह नही बताया था। यह कहना सही है कि एस.एच.ओ. की तलाशी उनके द्वारा लेना और उनकी तलाशी एस.एच.ओ. द्वारा लेना फर्द प्रदर्श पी 1 में कही भी अंकित नही है। मौके की लिखापढी सुरेश कानि0 ने की थी। यह कहना सही है कि लिखापढी मे करीब एक डेढ घण्टा लग गया था। यह कहना सही है कि वे अनुसंधान बॉक्स में लेपटॉप व प्रिंटर साथ लेकर गये थे। यह कहना गलत है कि लेपटॉप व प्रिंटर से

लिखापढी नही की हो बल्कि उनसे भी लिखापढी की थी। यह कहना गलत है कि वे जिस रूट गये थे उसी रूट से आये हो अजखुद कहा वे दूसरे रूट सुनेल रोट से पाटन होते हुए आये थे। मोटरसाईकिल को वह स्वयं चलाकर लाया था। तीतरवासा से सुनेल रोड होते हुए उनका थाना करीब 15 किलोमीटर दूर पडता है, जिससे वापस आने में करीब 20-25 मिनट लगे थे। यह कहना सही है कि मोटरसाईकिल के नम्बर उसे याद नही है। यह कहना सही है कि वह अकेला ही वापसी थाने आया था उसके साथ और कोई नही आया था। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नही गया हो और उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नही की गई हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान को मोटरसाईकिल समेत घर से उठा कर लाये हो और थाने में बैठकर झूठी जप्ती बताई हो और वह झूठा गवाह बना हो। यह कहना गलत है कि नक्शा मौका थाने पर बैठकर बनाया हो।

14. **पी.ड.3 कुन्दन** मालखाना इन्चार्ज है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि वह दिनांक 26.05.2020 को थाना सदर झालावाड में मालखाना इन्चार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन इस प्रकरण में अजय कुमार एस.एच.ओ. ने उसे जप्तशुदा व सील्डशुदा कुल दो पैकेट मार्क ए, बी व एक एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल जिसका नम्बर आरजे17 एसएस 4588 जमा मालखाना हेतु दी थी, जिन्हे मालखाना रजिस्टर के क्रमांक 392/20 मे नियमानुसार इन्द्राज कर जमा मालखाना किया था। उसी दिन अभियुक्तगण से जामा तलाशी माल जमा मालखाना कर मालखाना रजिस्टर के क्रमांक नं. 393/20 पर इन्द्राज कर जमा मालखाना किया था। दिनांक 14/07/2020 को पवन कुमार कानि. को मय थाने के अग्रेषण पत्र के साथ सील्डशुदा पैकेट मार्क ए व बी वास्ते मैकेनिक यांत्रिक परीक्षण हेतु आरएल झालावाड रवाना किया था। बाद यांत्रिक परीक्षण मय रिपोर्ट के पवन कुमार वापस थाने आकर जप्तशुदा व सील्डशुदा पैकेट लाकर उसे सुपुर्द किया, जिसका इन्द्राज उसने मालखाना रजिस्टर में किया हुआ है। दिनांक 17.09.2020 को आई.ओ. नितिन कुमार हेड कानि. को डी.एम. कार्यालय झालावाड से अभियोजन स्वीकृति लाने हेतु माल सील्डशुदा हालत में

दिया था। अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद सील्डशुदा हालत माल पैकेट मार्क ए व बी वापस उसे संभलाया था, जिसका इन्द्राज उसने मालखाना रजिस्टर में नियमानुसार किया था। जप्तशुदा मोटरसाइकिल न्यायालय के आदेश से नियमानुसार भगवान सिंह को सुपुर्द की थी। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 6 है। असल मालखाना रजिस्टर की सत्यप्रति प्रदर्श पी 6 ए है। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि यह सही है कि माल को उसने खोलकर नहीं देखा। बाद भौतिक परीक्षण माल पर आरमोर्रर की सील लगी हुयी थी। डी.एम. के भौतिक सत्यापन के बाद भी आरमोर्रर की सील ही लगी हुयी थी। यह सही है कि माल रात्रि करीब 4.40 ए एम पर जमा मालखाना किया गया था। यह कहना गलत है कि एस.एच.ओ. ने थाने पर बैठकर उसके सामने माल को जप्त किया हो तथा उसने गलत इन्द्राज किया हो।

15. **पी.ड. 4 प्रहलाद** फर्द सुपुर्दगी मोटरसाईकिल का साक्षी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि लगभग 4 साल पहले पुलिस ने एक मोटरसाइकिल उसके समक्ष उसके मालिक भगवान सिंह को सुपुर्द की थी, फर्द सुपुर्दगी मोटरसाईकिल प्रदर्श पी 7 है। **प्रतिपरीक्षा** में कथन किया है कि प्रदर्श पी 7 पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने खाली कागजों पर करवाये थे, उसमें क्या लिखा, पुलिस ने उसे कुछ नहीं बताया।

16. **पी.ड. 05 शंकरलाल** जप्तीदल का सदस्य है जिसने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 25.05.2020 को थाना सदर में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन रात को करीब 11.00 बजे वह एस.एच.ओ. अजय कुमार, कानि. पवन व सुरेश कानि. मय अनुसंधान बॉक्स, लेपटॉप, प्रिंटर, ड्रेगन लाइट मय सरकारी वाहन के वास्ते अवैद्य कार्यों की चैकिंग हेतु भवानी मण्डी रोड भीलवाडा, कनवाडा गश्त करते हुये तितरवासा पहुंचे, वहां पर अटल सेवा केन्द्र के पास दो व्यक्ति बाइक पर आते नजर आये जो पुलिस की गाडी को देखकर वापस भागने लगे, जिस पर पुलिस गाडी द्वारा पीछा करके रोका तो दोनो काफी घबरा गये थे। एस.एच.ओ. ने डिटेनशुदा व्यक्तियों के नाम व पते पूछे तो एक ने अपना नाम भगवानसिंह व दूसरे ने जगवीर

सिंह बताया रात्रि के समय और लॉकडाउन मे बाइक से घुमने के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वह घबराये हुये थे। इस पर तलाशी लेना आवश्यक होने पर एस.एच.ओ. ने सुरेश कानि. को मौखिक आदेश देकर स्वतंत्र गवाह लाने के लिये भेजा। करीब 5-10 मिनट बाद में वापस आकर सुरेश ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। जिस पर एस.एच.ओ. ने सुरेश और पवन को स्वतंत्र गवाह मामूर कर डिटेनशुदा व्यक्तियो की तलाशी ली तो भगवान सिंह की पेंट की दाहिनी जेब से एक जिंदा 12 बोर कारतूस मिला, जिस पर पीतल की केप लगी हुयी थी व के. एफ 12 लिखा हुआ था। जगवीर की तलाशी लेने पर पेंट की अंदर की जेब मे 12 बोर एक जिंदा कारतूस मिला, जिस पर भी के.एफ 12 लिखा हुआ था। एस.एच.ओ. ने उक्त दोनो से कारतूस रखने बाबत अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया, जिस पर अवैध कारतूस अपने पास रखना अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में दण्डनीय होने से दोनो कारतूसों को मौके पर जप्त किया और पूछताछ करने पर बताया कि उक्त कारतूस दुल्हे सिंह कंजर को देने जा रहे है। मोटरसाइकिल के बारे में पूछा तो भगवान सिंह ने अपना होना बताया। जिसके कागजात उनके पास नहीं थे। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि घटनास्थल थाने से करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। वे रात के करीब 11.00 बजे रवाना हुए थे। उनकी जीप को कौन चला रहा था यह उसे पता नहीं है। वे रास्ते में रूके थे या नहीं उसे पता नहीं है। मोटरसाईकिल कौनसी कंपनी की थी उसे पता नहीं। आमरोड सुनेल से अटल सेवा केन्द्र 100 मीटर की दूरी पर है। यह बात सही है कि अटल सेवा केन्द्र से पास ही गांव बस्ती है। यह कहना गलत है कि वे पहुंचे तो उनको देखकर गांववाले इकटठा हो गए हो। उन लोगों को देखकर आम रोड सुनेल से अभियुक्तगण मोटरसाईकिल से गांव की तरफ भागे थे। यह कहना गलत है कि मोटरसाईकिल कौन चला रहा था यह वह नहीं बता सकता। यह बात सही है कि अजय कुमार ने स्वतंत्र गवाह नहीं बुलवाया बल्कि सुरेशकुमार को मौखिक आदेश देकर स्वतंत्र गवाह बुलाने भेजा था। सुरेश ने वापस आकर यह नहीं बताया कि उसने कहां कहां व किस किस व्यक्ति से स्वतंत्र गवाह बनने

के लिए कहा। उसके सामने अजय कुमार की तलाशी किसी ने नहीं ली, न ही सुरेश व पवन की तालाशी किसी ने ली। उसे पता नहीं कि मौके की लिखापढी लेपटाप से की गयी या हाथ से की गयी। वापसी थाने पर मोटरसाईकिल को थाने पर लाए थे, कौन चलाकर लाया उसे पता नहीं। यह कहना गलत है कि वह मौके पर नहीं गया हो व उसके सामने कोई बरामदगी अभियुक्तगण से नहीं हुयी हो। यह कहना गलत है कि उच्चाधिकारियो के कहने से प्रकरण मे झूंठा गवाह बना हो।

17. **पी.ड. 06 विनोदकुमार** फर्द सुपुर्दगी मोटरसाइकिल का गवाह है जिसने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 23.06.2020 को थाना सदर झालावाड में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मालखाना कुंदनलाल हेड कानि. द्वारा इस प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स कोर्ट के आदेश से भगवान सिंह को सुपुर्द की थी। फर्द सपुर्दगी प्रदर्श पी 07 है। इस गवाह से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी है।

18. **पी.ड. 7 बाबूलाल** फर्द गिरफ्तारी व तस्दीक नक्शा मौका का गवाह है जिसने मुख्य परीक्षा में यह कथन किए हैं कि वह दिनांक 11.08.2020 को थाना सदर झालावाड में कानि. के पद पर तैनात था। इस प्रकरण में गिरफ्तार मुलजिम दुलेसिंह ने अनुसंधान अधिकारी नितिन कुमार हेड कानि. को स्वेच्छयापूर्वक दी गयी सूचना के अनुसरण में उसकी निशादेही से उसके और कानि. नवल सिंह के समक्ष उस स्थान की तस्दीक करवायी थी, जहां पर दूलेसिंह ने भगवान सिंह को दो जिंदा कारतूस दिये थे। फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 08 है। **प्रतिपरीक्षा** में इस गवाह ने यह कथन किए हैं कि वह थाने से कहीं भी जाते है, तब रोजनामचे में रवानगी रपट डालते है। उस दिन भी रपट डालकर ही रवाना हुये थे। घटनास्थल थाने से करीब 10-12 किमी की दूरी पर है। घटनास्थल पर जाने मे करीब 20 मिनट का समय लगा था। यह सही है कि घटनास्थल आम रास्ता है। यह सही है कि घटनास्थल के पास ही ऋषिराज का मकान है। जब वे वहां पहुंचे तब वहां गांव वाले वहां पर आ गये थे, जो 40-50 मीटर की दूरी पर खडे थे। यह सही है कि किसी को भी स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया था।

अजखुद कहा कि कोई तैयार नहीं हुआ था। यह सही है कि गवाह बनने के लिये किसी का तैयार नहीं होने वाली बात प्रदर्श पी 08 मे नहीं लिखी हुयी है। यह सही है कि प्रदर्श पी 08 के दोनो गवाह पुलिसकर्मी ही है। यह सही है कि उसने किसी से स्वतंत्र गवाह बनने बाबत नहीं पूछा था। यह कहना गलत है कि वह घटनास्थल पर नही गया हो और उसने थाने पर ही बैठकर उच्चाधिकारी के कहने से हस्ताक्षर किये हो।

19. **पी.ड.8 योगेन्द्रसिंह** आरमोर्रर है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 14.07.2020 को पुलिस लाइन झालावाड में आरमोर्रर के पद पर तैनात था। इस प्रकरण में जप्तशुदा दो कारतूस 12 बोर थाना सदर झालावाड की सील से पवन कानि. 1492 ने वास्ते यान्त्रिक निरीक्षण उसके समक्ष पेश की जिसकी सील उक्त कानि. के सामने खोलकर मुताबिक तहरीर यान्त्रिक निरीक्षण किया। मार्क ए एक कारतूस 12 बोर खाकी रंग का जिस पर पीतल की केप फिट थी केप पर के एफ 12 अंकित था, कारतूस के कवर पर इण्डियन आर्डिनेंस फेक्ट्री स्पेशियल 65 एमएम 30 ग्राम अंकित था, कारतूस एक नम्बर छर्रे वाला था। वक्त परीक्षण कारतूस जिंदा अवस्था में था जो एम्यूनेंशन की परिभाषा में आता हैं। मार्क बी एक कारतूस 12 बोर खाकी रंग का जिस पर पीतल की केप फिट थी केप पर के एफ 12 अंकित था, कारतूस के कवर पर इण्डियन आर्डिनेंस फेक्ट्री स्पेशियल 65 एमएम 30 ग्राम अंकित था, कारतूस एक नम्बर छर्रे वाला था। वक्त परीक्षण कारतूस जिंदा अवस्था में था जो एम्यूनेशन की परिभाषा में आता है। बाद परीक्षण उक्त माल को सफेद कपडे की थैली में रखकर आरमोर्रर आरएल झालावाड की सील से सील कर पवन कानि. को मय माल और रिपोर्ट सुपुर्द कर थाना सदर रवाना किया। आरमोर्रर रिपोर्ट प्रदर्श पी 09 है। इस गवाह ने **प्रतिपरीक्षा** में यह स्वीकार किया है कि कारतूसों के बारे में उसने केवल देखकर ही बताया था उसको खोलकर नहीं देखा था। अजखुद कहा कि यह एफ.एस.एल. व बेलेस्टिक एक्सपर्ट की जांच का विषय है। उसने आरमोर्रर का कोर्स किया हुआ है। यह कहना सही है कि इस बाबत कोई प्रमाण पत्र पत्रावली पर संलग्न

नहीं है। कारतूस की केप पर जो केप फिट थी, उसकी प्रोट्रयुजन केप दुरूस्थ अवस्था में थी, उसने इस आधार पर कारतूस का जिंदा होना बताया था।

20. **पी.ड. 09 नितिन कुमार** अनुसंधान अधिकारी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 26.05.2020 को थाना सदर झालावाड पर हैड कानि. के पद पर तैनात था। इस प्रकरण की तफ्तीश मिलने पर उसने गवाहान अजय कुमार, सुरेश कुमार कानि., पवन कुमार कानि. शंकरलाल कानि. तथा मालखाना इन्चार्ज कुंदनलाल हेड कानि. के बयान लेखबद्ध किये थे। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 4 है। जप्तशुदा कारतूसों का यान्त्रिक परीक्षण हेतु पवन कुमार कानि. को सील्डशुदा माल देकर पुलिस लाइन झालावाड रवाना किया था, जिसने आरमोर्रर से यान्त्रिक परीक्षण की रिपोर्ट लाकर उसे पेश की थी, जिसे बाद अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया था। दोनो मुलजिमान के द्वारा कारतूस दूलेसिंह कंजर से खरीदना बताया, इस पर दिनांक 10.08.2020 को मुलजिम दूलेसिंह को थाना परिसर से गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 10 बनायी थी। दूलेसिंह की सूचना प्रदर्श पी 11 के अनुसरण मे उसकी निशादेही से घटनास्थल तस्दीक किया था, फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 08 है। गिरफ्तारशुदा मुलजिमान के पास किसी भी प्रकार का शस्त्र अनुज्ञा-पत्र होने बाबत सूचना डी.एम. कार्यालय से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी। जिला कलेक्टर से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की जो शामिल पत्रावली है। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम भगवान सिंह, जगवीर सिंह पर अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मुलजिम दूलेसिंह पर अपराध धारा 5/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु एस.एच.ओ. को पेश की थी। इस गवाह ने **प्रतिपरीक्षा** में यह कथन किया है कि नक्शा मौका बनाने के लिये वे प्राइवेट वाहन से गये थे जो कार थी। कार उसकी स्वयं की थी। नक्शा मौका व रवानगी के समय उसने रोजनामचे में रपट डाली थी। पत्रावली पर देखा तो रोजनामचा रपट पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि नक्शे मौके के दोनों गवाह वहीं गवाह है, जो फर्द चैकिंग व जप्ती के है। यह कहना सही है कि नक्शे मौके में किसी को स्वतंत्र गवाह

नहीं बनाया था। यह कहना सही है कि घटनास्थल आम रोड तितरवासा है, जिसके पास ही आबादी क्षेत्र है। यह कहना गलत है कि उस समय रोड पर लोगो की आवाजाही हो। अजखुद कहा कि लॉकडाउन था। यह कहना गलत है कि उसने नक्शा मौका थाने पर बैठकर बनाया हो। यह कहना भी गलत है कि उसने गवाहो के बयान अपनी मर्जी से लिखे हो। यह कहना गलत है कि मुलजिमान से कोई कारतूस बरामद नहीं हुये हो और उन पर झूठी तफ्तीश कर झूठा केस बनाया हो। यह कहना सही है कि अभियुक्त दूलेसिंह से कोई बरामदगी नहीं हुयी थी। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण भगवान सिंह व जगवीर सिंह द्वारा अभियुक्त दूलेसिंह से आपस में बात करने संबंधी कॉल डिटेल भी दौराने अनुसंधान प्राप्त नहीं की थी। यह कहना सही है कि मालखाना रजिस्टर की नकल के अनुसार भगवान सिंह व जगवीर सिंह की जामा तलाशी में मोबाइल मिला था। यह कहना सही है कि अभियुक्तगण भगवान सिंह व जगवीर सिंह की जामा तलाशी में जो मोबाईल मिला था, उस मोबाईल का दूलेसिंह के नम्बर पर बातचीत होने के संबंध में उसने कोई विश्लेषण नहीं किया था। यह कहना गलत है कि अभियुक्तगण भगवान सिंह व जगवीर सिंह ने दूलेसिंह के बारे में कोई बात नहीं बतायी हो। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 11 उसने झूठी तैयार कर मुलजिम दूलेसिंह को दबाव देकर उस पर हस्ताक्षर करवाये हो। यह कहना गलत है कि उसने मुलजिम दूलेसिंह के खिलाफ गलत अनुसंधान कर उसको इस प्रकरण में झूठा लिप्त किया हो।

21. **पी.ड. 10 अजय कुमार शर्मा** जप्ती अधिकारी है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 25.05.2020 को थाना सदर झालावाड पर उपनिरीक्षक प्रोबेशनर के पद पर प्रशिक्षणरत था। उस दिन समय 11.11 पी.एम. पर थाने से मय जाप्ता, जीप सरकारी एवं अनुसंधान बॉक्स के वास्ते इलाका गश्त एवं अवैध कार्यों की रोकथाम हेतु गश्त कस्बा कपासियां कुंआ सिंघानिया, भीलवाडी, कनवाडा करता हुआ समय 12.05 ए.एम. पर गांव तितरवासा में पहुंचा तो अटल सेवा केन्द्र के पास सामने से एक मोटरसाईकिल आती हुयी दिखाई दी जो पुलिस जीप को

देखकर वापस मुडकर जाने लगे जिनको पुलिस जीप आडी लगाकर डिटेन किया व देखा तो मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति सवार थे, जिनसे पुलिस जीप को देखकर वापस जाने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया एवं घबराये हुये लग रहे थे। चालक से अपना नाम पूछा तो भगवान सिंह तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम जगवीर सिंह होना बताया। दोनो व्यक्ति संदिग्ध होने से संदेह के निवारण हेतु हमराई जाप्ते में से कानि. सुरेश कुमार को जुबानी आदेश देकर उनकी तलाशी हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब करने के लिये रवाना किया गया, जिसने करीब 10 मिनट बाद आकर बताया कि रात्रि का समय होने एवं लॉक डाउन होने के कारण कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इस पर जाप्ते में से सुरेश कानि. एवं पवन कानि. को स्वतंत्र गवाह मामूर कर सहमति प्राप्त की। तत्पश्चात दोनों गवाहान ने उसकी व उसने दोनों गवाहान की तलाशी ली गयी। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। भगवान सिंह की तलाशी ली तो पेंट की दाहिने जेब से एक कारतूस मिला जो 12 बोर का था, जिस पर 65 एम एम 30 ग्राम आर्डिनेंस फेक्ट्री लिखा हुआ था तथा पैदे पर पीतल की केप लगी हुयी थी, जिस पर के एफ 12 लिखा हुआ था। जिसके संबंध में भगवान सिंह से कोई वैध लाईसेंस होने के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। जगवीर सिंह की तलाशी ली तो पेंट की अंदर की जेब से एक जिंदा कारतूस मिला। वह भी 12 बोर उसी प्रकार का था, जिनके बारे में दोनो से पूछा तो बताया कि यह कारतूस दूलेसिंह ने मंगवाया है, जिसको देने जा रहे है। उसके बाद उनके कब्जे की मोटरसाइकिल एचएफ डीलक्स की तलाशी ली तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। उक्त दोनों व्यक्ति के पास कोई वैध लाईसेंस आग्नेय अस्त्र होने बाबत नहीं होने से दोनो कारतूसों को बतौर वजह सबूत जप्त कर पृथक पृथक कपडे की थैली में रखकर थाना हाजा की सील से सील मोहर कर मार्क क्रमशः ए व बी दिया गया तथा मोटरसाईकिल को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। दोनो को गिरफ्तार किया गया। जप्तशुदा मोटरसाईकिल को कानि. पवन के द्वारा चलवाकर थाना हाजा पर रवाना किया गया। वह दोनो मुलजिमान को मय जाप्ता सरकारी जीप के रवाना होकर वापस थाने आया। वापसी थाना पर मुलजिमान को बाद

जामा तलाशी बंद हवालात किया। माल जमा मालखाना किया। फर्द चैकिंग व गिरफ्तारी प्रदर्श पी2 व पी3 बनायी थी। अनुसंधान अधिकारी ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.4 बनाया था। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी.12 है। मुलजिमान को गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी.13 व पी.14 है। प्रकरण अनुसंधान हेतु नितिन कुमार हेड कानि. के जिम्मे किया गया था। इस गवाह ने **प्रतिपरीक्षा** में यह कथन किया है कि बरामदगी स्थल थाने से करीब 40 किमी की दूरी पर है। वह थाने से करीब 11.11 पी.एम. पर रवाना हुये थे। रास्ते में कही नही रूके थे। यह कहना गलत है कि उसने रोजनामचे मे रवानगी रपट नहीं डाली हो। यह कहना सही है कि रोजनामचे की रपट मे सरकारी वाहन के नम्बर व सरकारी वाहन क्या था, यह कही नही लिखा था। अजखुद कहा कि सरकारी वाहन जीप थी। थाने से बरामदगी स्थल पर पहुंचने में करीब 1 घण्टा लगा था। थाने से बरामदगी स्थल तक कपासियां, सिघानिया, भीलवाडी, कनवाडा, तितरवासा आदि गांव पडते है। यह कहना गलत है कि थाने से सुनेल रोड होते हुये गये हो। यह कहना गलत है कि जीप को देखकर गांव वालें इकट्ठा हो गये हो। यह कहना सही है कि बरामदगी स्थल के पास ही आबादी क्षेत्र व अटल सेवा केन्द्र है। स्वतंत्र गवाह ढूंढने गये सुरेश कानि. ने गांव में स्वतंत्र गवाह को ढूंढने जाना बताया था, मगर यह नहीं बताया कि किस किस व्यक्ति से स्वतंत्र गवाह बनने के लिये बात की थी। अजखुद कहा कि लॉकडाउन व रात्रि होने से कोई व्यक्ति नहीं मिला था। जाप्ते की जीप को देखकर 10-15 मीटर दूर से रोड की ओर मुलजिमान ने मोटरसाइकिल घुमायी थी। यह कहना सही है कि फर्द जप्ती के गवाह साथ गये दोनो कानि. ही है। मौके की लिखा पढी उसके निर्देशन ने सुरेश कानि. द्वारा की गयी थी। मौके की कार्यवाही मे करीब डेढ घण्टा लगा था। यह कहना सही है कि मुलजिमान से मौके से कोई हथियार बरामद नहीं हुये थे। यह कहना सही है कि फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी.4 में भी वहीं गवाह है, जो प्रदर्श पी.1 में है। यह कहना गलत है कि नक्शा मौका फर्द जप्ती से पहले ही बना लिया गया हो। यह कहना भी गलत है कि नक्शा मौका थाने पर बैठकर बनाया हो। यह कहना गलत है कि फर्द जप्ती मे मोटरसाईकिल

के नम्बर अंकित नहीं हो। यह कहना गलत है कि मोटरसाईकिल के ईंजन नम्बर व चैचिस नम्बर थाने में आकर ट्रेस किये हो। यह कहना गलत है कि मौके से मुलजिमान से कोई बरामदगी नहीं हुयी हो और मुलजिमान को घर से उठाकर लाये हो और थाने पर बैठकर मुलजिमान के खिलाफ झूठी बरामदगी बताकर झूठा प्रकरण दर्ज करवाया हो।

22. **पी.ड. 11 नवलसिंह** तस्दीक घटनास्थल का गवाह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 11.08.2020 को सदर झालावाड मे कानि. के पद पर तैनात था। इस प्रकरण में गिरफ्तारशुदा मुलजिम ने अनुसंधान अधिकारी नितिन कुमार हेड कानि. को स्वेच्छयापूर्वक दी गयी सूचना के अनुसरण में उसकी निशादेही से उसके व कानि. बाबूलाल के समक्ष उस स्थान की तस्दीक करवायी थी, जहां पर दूलेसिंह ने भगवान सिंह को दो जिंदा कारतूस दिये थे, फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी 08 है। इस गवाह ने **प्रतिपरीक्षा** में यह स्वीकार किया है कि वे राजकीय कार्य अथवा अनुसंधान हेतु थाने से कहीं भी आते जाते है तो उसकी रोजनामचे में रपट डलती है। मुलजिम से तस्दीक करवाने के लिये तब कौनसी रोजनामचा रपट संख्या से रवाना हुये थे, यह आज ध्यान नहीं है। तस्दीक स्थल पर कितने बजे पहुंचे थे, उसका समय भी आज ध्यान नहीं है। तस्दीकस्थल के उत्तर में पाटन वाया सुनेल रोड है, दक्षिण में भी वहीं रोड है, पूर्व में खेत व दुकान है, पश्चिम में भी दुकान व मकान है। यह कहना सही है कि वह तस्दीकस्थल पर तस्दीक से पूर्व भी जा चुका था। मौके पर लिखापढी किसने की थी, इसका उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि तस्दीक स्थान मुलजिम भगवान सिंह का ही हो, इस बाबत मौके पर सरपंच अथवा पटवारी से कोई दस्तावेज नहीं लिये थे। तस्दीक स्थान पर जब वे तस्दीक कराने के लिये गये तब तालाबंद था। तस्दीकस्थल का ताला किसने खोला, यह उसे ध्यान नहीं है। यह कहना सही है कि यदि भगवान सिंह के किसी परिजन से तस्दीक स्थल की चाबी ली या नहीं ली, इसका भी उसे ध्यान नहीं है। वे मौके पर सरकारी वाहन से गये थे। समय ज्यादा हो जाने के कारण उसके गाडी नम्बर आज

उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि वह तस्दीकस्थल पर नहीं गया हो और थाने पर ही प्रदर्श पी.8 पर उच्चाधिकारी के कहने से हस्ताक्षर किये हो।

23. **पी.ड. 12 पुष्पेन्द्रसिंह** जिला कलेक्टर द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी करने का गवाह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 17.09.2020 को कलेक्ट्रेट की न्याय शाखा में वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात था। इस प्रकरण में अभियुक्त भगवानसिंह व जगवीरसिंह के विरूद्ध आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3/25 में धारा 39 के तहत तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट निकया गुहाएन द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 15 जारी की गई थी जिस पर ए से बी जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर है, जिन्हे वह उनके अधीनस्थ कार्यरत होने से पहचानता है। इस गवाह ने **प्रतिपरीक्षा** में यह स्वीकार किया है कि उसने केवल रिपोर्ट तैयार की थी, उसके सामने कारतूस पेश नहीं हुये थे। यह उसे ध्यान नहीं है कि कारतूस किसकी सील से सीलचिट थे।

24. **पी.ड. 13 बाबूलाल** अभियुक्तगण के विरूद्ध न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने का गवाह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 26.09.2020 को पुलिस थाना सदर पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। इस प्रकरण की पत्रावली बाद अनुसंधान उसके समक्ष पेश होने पर उसने संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिम भगवान सिंह व जगवीर सिंह के खिलाफ अपराध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मुलजिम दूलेसिंह कंजर के खिलाफ अपराध धारा 5/25 आर्म्स एक्ट का प्रमाणित पाये जाने पर न्यायालय में चालान पेश किया था। इस गवाह ने **प्रतिपरीक्षा** में यह स्वीकार किया है कि इसमें किसी प्रकार का कोई हथियार बरामद नहीं किया था। अजखुद कहा कि दो कारतूस बरामद किये थे। यह कहना सही है कि बरामदगी उसके समक्ष नहीं की गयी थी।

25. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मौके के पुलिसकर्मी गवाह है, जिनमे से सुरेश कुमार कानि., और पवन कुमार कानि. प्रमुख है। इनके द्वारा अभियुक्तगण को अवैध कारतूस के साथ पकड़ा जाना बताया है। उक्त चैंकिग दल में

अजय कुमार शर्मा पी.ड.10 मौजूद था। उक्त सभी गवाहो ने अपने बयानों में मुख्य परीक्षण में एक ही तरह की साक्ष्य दी है और दौराने गश्त मोजा तीतरवासा स्थित अटल सेवा केन्द्र के पास समय रात्रि करीब 12.30 पी.एम. पर अवैध एक जिन्दा-एक जिन्दा कारतूस 12 बोर, 65 एम.एम. 30 ग्राम Indin Ordnance Factories के साथ पकड़ना बताते है। उसके पश्चात माल मालखाने में जमा कराया गया। मालखाने में जमा कराए जाने का गवाह पी.ड.3 कुन्दनलाल है जिसके द्वारा दिनांक 26.05.2020 को इंद्राज करके मालखाने में जमा जमा किया गया था। दिनांक 14.07.2020 को सील्डशुदा कारतूस मैकेनिकल मुआयना हेतु पवन कुमार कानि. को सुपुर्द किए गए गया था तथा उसी दिन पवन कुमार कानि. द्वारा मैकेनिकल मुआयना करवाकर उक्त सील्डशुदा कारतूस वापस लाकर संभलाया गया था, जिसका इंद्राज कर जमा मालखाना किया गया है। दिनांक 17.09.2020 को सील्डशुदा पैकिट मार्क ए एवं बी नितिन कुमार हैड कानि. अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति हेतु जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय झालावाड़ भेजा गया था, बाद अभियोजन स्वीकृति सील्डशुदा पैकिट वापस लाकर मालखाने में जमा कराया गया। न्यायालय द्वारा असल मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-06 ए का अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त सभी इंद्राज मौजूद है। प्रदर्श पी-15 के रूप में अभियोजन स्वीकृति मौजूद है। मैकेनिकल मुआयना प्रदर्श पी-05 है। पी.ड.8 योगेन्द्र सिंह आरमोरेर द्वारा उक्त बरामदशुदा कारतूस को जिन्दा अवस्था में होने से एम्यूनेशन की श्रेणी में आना बताया है। अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी-15 के जरिए बाद भौतिक निरीक्षण जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा उक्त अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें बाद भौतिक निरीक्षण पुनः आरमोरर की सील से सील्ड करवाए जाने का अंकन है। इस तरह से गवाह पी.ड.10 अजय कुमार, पी.ड.1 सुरेश, पी.ड.4 पवन कुमार एवं पी.ड.5 शंकरलाल जो जप्ती दल के गवाह थे, उन सभी के द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से तथाकथित कारतूस की बरामदगी की पुष्टि की गई है। उक्त गवाहो से प्रतिपरीक्षण में स्वतंत्र गवाह बाबत प्रश्न पूछे गए है और घटना स्थल आबादी वाली जगह होना सभी गवाहो ने बताया है।

26. विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस अंतिम यह तर्क रहा है कि जप्ती किए जाते समय मात्र पुलिसकर्मी गवाह है और स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए है, जबकि घटना स्थल आबादी वाली जगह है। न्यायालय के विन्रम मत में यह अनुसंधान की प्रक्रियात्मक कमी है परन्तु इसके आधार पर संपूर्ण अभियोजन मामला क्षतिग्रस्त नहीं होता है और मात्र पुलिसकर्मी होने से पुलिसकर्मियो की गवाही संदिग्ध नहीं माना जा सकती है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि घटना रात्रि के समय 12.00 बजे के बाद की है।

27. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा यह तर्क दिया गया है कि स्वतंत्र साक्षी नहीं होने के कारण जप्ती दूषित हो जाती है। इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विचार किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 762 मुसीर खान उर्फ बादशाह खान व अन्य बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. जिसका अनुसरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (2014) 12 एस.एस.सी. 419, मधु बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एवं (2013) 14 एस.एस.सी. 434 रोहिताश कुमार बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि यदि जप्ती अन्य सभी प्रकार से विश्वसनीय है तो उस पर मात्र स्वतंत्र गवाह सम्पुष्टि के अभाव के आधार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बरामदगी के सम्बन्ध में पत्रावली पर गवाह पी.ड.1 सुरेश एवं गवाह पी.ड.2 पवन की सुदृढ़ प्रकृति की साक्ष्य विद्यमान है। अतः अधिवक्ता अभियुक्तगण का उक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

28. इसके अतिरिक्त जहाँ तक संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण, विवेचन किया जाए तो जिन गवाहो के द्वारा और मौजूदगी में कार्यवाही की गई है, उनके प्रतिपरीक्षण में कोई गंभीर विरोधाभास दृष्टिगत नहीं होता है। अर्थात जप्ती की कार्यवाही साबित है, उसके पश्चात जप्त किए गए माल को मालखाने में जमा कराया गया था, जिसकी पुष्टि मालखाना इंचार्ज द्वारा की गई है और मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-06 ए से होती है, जिसमें समस्त तथ्यो का अंकन है। अर्थात मालखाने में माल जमा कराए जाने से लेकर माल आरमोरर को भेजना और बाद मुआयना आरमोरर से

पुनः मालखाने में प्राप्त होना, तत्पश्चात जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ को अभियोजन स्वीकृति हेतु माल भेजा जाना और वापस वहाँ से माल प्राप्त होने का अंकन है। आरमोर पी.ड.8 योगेन्द्र सिंह द्वारा तथाकथित बरामदशुदा कारतूस को फायर आर्म्स की श्रेणी में माना गया है। अतः जहाँ तक अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का प्रश्न है तो अभियोजन द्वारा संदेह से परे अभियुक्तगण भगवानसिंह एवं जगवीरसिंह के विरूद्ध साबित किया गया है।

29. जहाँ तक एक अन्य अभियुक्त दूल्हे सिंह का प्रश्न है तो दूल्हे सिंह की गिरफ्तारी तो मात्र फर्द चैंकिग एवं जप्ती प्रदर्श पी-01 के अनुसार उक्त दोनों अभियुक्तगण के कथनानुसार उसे मुलजिम बनाया गया है, जैसा कि पी.ड.09 नितिन कुमार अनुसंधान अधिकारी अपने प्रतिपरीक्षण में बताता है कि अभियुक्त दूल्हेसिंह से कोई बरामदगी नहीं हुई थी। अतः दूसरे शब्दो में कह सकते है कि सहअभियुक्तगण के बयान के आधार पर दूसरे आरोपी के विरूद्व यदि मामला बनाया गया है तो यह कमजोर साक्ष्य में परिभाषा में आता है। मात्र एक आरोपी द्वारा दूसरे आरोपी का नाम लिया गया है, परन्तु हथियार देना, खरीदना, सप्लाई करना या षड़यंत्र करने संबंधी कोई साक्ष्य अभियुक्त दूल्हे सिंह के विरूद्व अभियोजन द्वारा पेश नहीं की गई है अपितु दूल्हे सिंह द्वारा खरीद की जानी थी इसका कोई गवाह पेश नहीं किया है। धारा 5/25 आर्म्स एक्ट के आवश्यक तत्वो में हथियार निर्माण किया जाना, खरीदना, अन्यथा हस्तान्तरण जो बिना लाईसेंस के किया जाए जिसमें अभियोजन को यह साबित करना आवश्यक है कि दूसरे आरोपी ने हथियार उपलब्ध कराया था या ट्रान्सफर किया था, लेकिन फर्द जप्ती में अभियुक्तगण द्वारा दिए गए डिस्क्लोजर स्टेटमेंट (Disclosure Statement) के आधार पर दूसरे आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई है। उसके संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, मात्र केवल पहले अभियुक्तगण भगवानसिंह एवं जगवीरसिंह की फर्द जप्ती में की गई सूचना/कथन मौजूद है जो न्यायालय के विनम्र मत में एक कमजोर साक्ष्य की श्रेणी में आता है।

30. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का दौराने बहस अंतिम तर्क रहा है कि अभियोजन द्वारा आमद रवानगी पेश नहीं की गई है और जप्ती अधिकारी द्वारा अपनी तलाशी नहीं दी गई है। गवाह पी.ड.12 पुष्पेन्द्र सिंह का यह कहना है कि उसके समक्ष कारतूस पेश नहीं हुए थे और बिना कारतूस पेश हुए अभियोजन स्वीकृति दे दी गई है। प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी-15 है जो जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़ द्वारा जारी की गई है जिसमें पृष्ठ संख्या-01 के पैरा सं.4 में इसका स्पष्ट अंकन है कि '' जप्तशुदा कारतूस का अवलोकन करने के पश्चात ही अनुमति दी गई है ''

31. इसके अतिरिक्त जहाँ तक अन्य तर्क आमद रवानगी पेश नहीं किए जाने, जप्ती किए जाने से पूर्व स्वयं की तलाशी की फर्द कायम नहीं किए जाने का जो विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा तर्क दिया गया है यह एक अनुसंधान की प्रक्रिया की खामी मानी जा सकती है परन्तु इससे संपूर्ण अभियोजन मामला क्षतिग्रस्त नहीं होता है। जहाँ जप्ती के दोनों पुलिसकर्मी द्वारा जप्ती की पुष्टि की गई है, जप्तशुदा माल मालखाने में जमा कराए जाने से लेकर अभियोजन स्वीकृति दिया जाना इनटेकट (Intact) रही है। ऐसे में अनुसंधान की तुच्छ प्रक्रियात्मक कमी अभियोजन के लिए घातक नहीं है।

32. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के उपरोक्त समस्त विश्लेषण व विवेचन से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि दिनांक 26.05.2020 को रात्रि करीब 12.30 पी.एम. या इसके लगभग मौजा तीतरवासा स्थित अटल सेवा केन्द्र के पास एस.एच.ओ. अजय कुमार शर्मा, एस.आई. पुलिस थाना सदर झालावाड़ द्वारा अभियुक्तगण भगवानसिंह व जगवीरसिंह के संज्ञान कब्जे से एक-एक जिन्दा कारतूस 12 बोर, 65 एम.एम., 30 ग्राम indian ordnance factories प्रिन्ट हुए व पीतल की केप पर kf 12 गुदा हुआ बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद किये गये। अतः उक्त समग्र विश्लेषण एवं विवेचन से अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण भगवानसिंह एवं जगवीरसिंह के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट को प्रमाणित करने में सफल रहा है।

<u>आदेश</u>

33. अतः अभियुक्तगण **1-भगवानसिंह** पुत्र बनेसिंह, उम्र 45 साल, निवासी तीतरवासा, पुलिस थाना सदर झालावाड, जिला झालावाड (राज.) **2-जगवीरसिंह** पुत्र प्रतापसिंह, उम्र 52 साल, निवासी गोयन्दा, पुलिस थाना रामगंजमन्डी जिला कोटा ग्रामीण (राज.) को अपराध धारा **3/25 आर्म्स एक्ट** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है। **3-दुल्हेसिंह** पुत्र हरिराम, उम्र 35 साल, निवासी बीरियाखेडी, पुलिस थाना सदर झालावाड, जिला झालावाड (राज.) को अपराध धारा **5/25 आर्म्स एक्ट** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। उक्त अभियुक्त दूल्हे सिंह के प्रोडक्शन वारण्ट पर नोट अंकित हो कि अभियुक्त किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो उसे तुरन्त रिहा कर दिया जावे।

(नरेन्द्र मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

<u>दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई</u>

34. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अपर लोक अभियोजक को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

35. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण अधेड़ उम्र के व्यक्ति है। अभियुक्तगण काफी समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे है तथा लम्बे समय से विचारण की यंत्रणा भुगत रहे है। अभियुक्तगण के परिवार में कोई भी अन्य कमाने वाला सदस्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए अभियुक्तगण को कम से कम सजा से दण्डादिष्ट किया जावे।

36. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण के उक्त तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण के संचेतन कब्जे एवं आधिपत्य से 12 बोर के जिन्दा कारतूस बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र /लाईसेंस के बरामद किए

गए है। ऐसे अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाए जाने पर समाज में गलत सन्देश जाने की सम्भावना पूर्णतया प्रबल हो जाती है। अन्त में अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

37. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया।

38. यद्यपि पत्रावली पर अभियुक्तगण की कोई पूर्व दोषसिद्धि बाबत साक्ष्य नहीं है, परंतु अभियुक्तगण के संचेतन कब्जे एवं आधिपत्य से आग्नेय शस्त्र एक-एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बिना किसी वैध अनुज्ञापत्र/लाईसेंस के अपने कब्जे में रखा जिससे वह किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते थे। अतः अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य, तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रति अत्यधिक नरम रुख अपनाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, अपितु अभियुक्तगण के विरूद्ध दण्डादेश निम्न प्रकार से पारित किया जाना उचित एवं आवश्यक पाया जाता है।

दण्डादेश

39. अतः अभियुक्तगण **भगवानसिंह एवं जगवीरसिंह** को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है-

क्र.सं.	दोषसिद्ध अपराध	दण्ड	अर्थदण्ड	अदम अदायगी अर्थदण्ड
1	धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	दो वर्ष का साधारण कारावास	पांच हजार रूपए	दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास

40. उपरोक्तानुसार उक्त अभियुक्तगण का सजा वारन्ट तैयार किया जावे। इस प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण, जाँच एवं विचारण के दौरान पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रावधानान्तर्गत उसकी मूल सजा में समायोजित की जावे।

41. प्रकरण में संबंधित पुलिस स्टेशन/कार्यालय के मालखाने में पडी जप्तशुदा सामग्री (जो भी हो) का निस्तारण सामान्य नियम (सिविल/आपराधिक)2018 के

अनुसार/नियमानुसार अपील अवधि समाप्त होने के बाद या अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन किया जाएगा।

42. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निरस्त समझा जावे।

43. धारा 365 द.प्र.सं. के अधीन हस्तगत मामले के निष्कर्ष एवं दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़ को प्रेषित की जावें।

44. धारा 363 द.प्र.सं. के अनुसरण में अभियुक्तगण को उक्त निर्णय एवं दण्डादेश की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

(नरेन्द्र मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

45. निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षररित किया गया।

(नरेन्द्र मीणा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निर्णय/आदेश में किये गये सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

KHEM CHAND KASHYAP

Steno Gr. I "Authenticate document"
Digitally signed by KHEM CHAND KASHYAP
Date: 2026.03.14 13:01:39 +0530

नोटः यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।